49

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म. प्र.)

5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES 20 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित विलोपित विलोपित

निगरानी- 2913/2018/रीवा/भू.रा

चंद्रकली पुत्री स्व0श्री रामस्वरूप दुबे पत्नी श्री रविशंकर तिवारी उम्र 58 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम हिडवार घुरेहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म. प्र.................................आवेदिका

बनाम

1- छोटी दुबे पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप दुबे उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम घुरेहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म. प्र.

2- अजय पाण्डेय

3- दिलीप पाण्डेय

4- प्रदीप पाण्डेय

5- चंद्रिका पाण्डेय

6- संदीप पाण्डेय क्र.2,3,4,5,6, के पिता स्व0 श्रीललन प्रसाद पाण्डेय माता स्व0 विनयवती निवासी ग्राम कधवार पो0 आ0 देवरी थाना पडरी तहसील व जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)

7- मालादेवी पुत्री रामस्वरूप पति गिरिजा शंकर उपाध्याय सा. टेगराही पो0 आ0 देवरी थाना पडरी तहसील व जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)

8- प्रभादेवी पुत्री रामस्वरूप पति सुरेश पाठक सा. बसुही थाना पडरी तहसील मिर्जापुर जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)

9- मुन्नीदेवी पुत्री रामस्वरूप पति कमलेश चौबे सा. बेरमऊआ थाना व तहसील मिर्जापुर जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)

........अनावेदक गैर निगरानीकर्ता गण

अनुविभागीय अधिकारी महोदय मऊगंज द्वारा अपील प्रकरण क्र. 09/अ/27/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी ।

मान्यवर,

<u>प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है</u> :-

1- उपर्युक्त प्रकरण से संबंधित अपीलाधीन भूमियो के पूर्व भूमि स्वामी आवेदिका निगरानी कर्ता के पिता स्व0 श्री रामस्वरूप दुबे थे वे मार्च वर्ष 1999 मे उक्त भूमियो का मौखिक विभाजन करके 1.081 हे. भूमिया आवेदिका को प्रदान कर दिये थे ।

2- आवेदिका द्वारा पूर्व मे किये गये बटवारा के आधार पर भूमियो का नामांतरण अपने नाम कराने हेतु दिनांक 06.07.2004 को तहसीलदार महोदय मऊगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

3- तहसीलदार महोदय मऊगंज द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कराया गया अनावेदक रामस्वरूप दुबे को सम्मन भेजा गया आवेदिका के पिता रामस्वरूप द्वारा बटवारा करके भूमिया आवेदिका को प्रदान करना स्वीकार किया गया और अपनी सहमति का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हल्का पटवारी द्वारा बटवारा पुल्ली भी प्रस्तुत की गई इस्तहार पर कोई आपत्ति नही आई अतः दिनांक 23.07.2004 को तहसीलदार महोदय मऊगंज द्वारा बटवारे के आधार पर नामांतरण करने का आदेश पारित कर दिया गया जिसके मुताबिक [redacted] आवेदिका अपीलाधीन भूमि खसरा नं. 1360 रकवा 0.073 हे., 1371 रकवा 0.417 हे., 1476 रकवा 0.158 हे., 1538 रकवा 0.433 हे., की भूमि स्वामी राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो रही है ।

(56)

R-2913/18 रिवा- रीवा

इक

प्रकरण नहीं
चलाना चाहते हैं
VMK. SHUKLA
23/05/18

23/5/18

आवेदक अधिव० श्री- वी०के०
शुक्ला उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध-
किया गया है कि- प्रकरण को वह आगे
नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण
न चलाने के कारण इसी- स्तर पर-
समाप्त किया जाता है।
सदस्य